



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2075/2026

सुरेश

.....

आवेदक(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी
पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: आलोक सिंह, हरीश

त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दायर इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक, जो कि वाद अपराध संख्या 744/2012 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 थाना कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संलिप्त है, वाद के विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

3. वर्तमान वाद का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 20.09.2012 को धारा 498ए, 304बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत चार नामजद आरोपियों जिसमें वर्तमान आवेदक भी शामिल है, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सूचनाकर्ता की बेटी, जिसका विवाह सह-आरोपी महेश से हुआ था, को आरोपियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या कर दी गई।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान आवेदक के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, इसलिए आरोप पत्र दाखिल करते समय उसका नाम हटा दिया गया था। इसके बाद सूचनाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन दिया, जिसके बाद आवेदक को तलब किया गया।

5. यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह सराय रानी, पुलिस थाना कोतवाली कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में रहता है, जबकि मृतक की मृत्यु के समय वह जालंधर में थी और चूंकि उसकी मृत्यु प्राकृतिक थी, इसलिए जालंधर में मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया।

6. यह भी निवेदन किया गया है कि परिवार के सभी सदस्यों, अर्थात् पति, आवेदक (जो जेठ है), ससुर और सास के विरुद्ध सामान्य आरोप हैं। अन्य सभी सह-आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् मृतक के पति, सास और ससुर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और जमानत आदेशों की प्रतियां पेपर बुक के अनुलग्नक संख्या 4,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5 और 6 के रूप में संलग्न हैं। आवेदक का वाद मृतक के ससुर और सास मग्घु और श्यामा देवी के मुकदमे से पूरी तरह मेल खाता है।

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि आरोपपत्र केवल पति और आवेदक के विरुद्ध दाखिल किया गया है, उसके माता-पिता यानी मृतक के सास-ससुर को हटा दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और विचारणीय न्यायालय ने इस स्थापित कानून पर विचार किए बिना कि प्रथम दृष्टया मामले से अधिक सबूतों की आवश्यकता होती है, वर्तमान आरोपियों के साथ आरोपी को वाद का सामना करने के लिए तलब किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 29.01.2026 से जेल में है।

8. प्राप्त निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हैं, लेकिन वे आरोपी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक दलीलों का खंडन नहीं कर सके और न ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा मग्घु और श्यामा देवी को दी गई जमानत के साथ आवेदक द्वारा किए गए समानता के दावे का विरोध कर सके।

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि मृतक की मृत्यु जालंधर में हुई थी, जैसा कि जालंधर के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रमाणित है। आवेदक उपर्युक्त गांव में रहता था और जालंधर में मृत्यु के समय वह अपने गांव में ही था। पति सहित अन्य सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है, जिसकी समानता पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोई विवाद नहीं किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. प्रथम दृष्टया, यह पाया गया कि सुरेश को जमानत देने का यह एक उपयुक्त वाद है। तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. आवेदक सुरेश को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

12. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारणीय न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

23 मार्च, 2026

नितेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।